बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम 2016

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली– 2016

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिनियम के सभी या किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :**

(1) यह नियमवाली बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियामवली, 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ :**

(1) **इस नियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :**

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016;

(ख) ''पर्षद'' अथवा ''राज्य पर्षद'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–4 के अधीन यथा गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद;

(ग) ''क्लियरेन्स'' से अभिप्रेत है, अनापत्ति प्रमाण–पत्र, आवंटन, सहमति, स्वीकृति, अनुमति, पंजीकरण, नामांकन, अनुज्ञप्ति एवं इस प्रकार किसी सक्षम प्राधिकार या प्राधिकारों, जो कि औद्योगिक उपक्रम बिहार राज्य में स्थापित किये जाने के लिए आवश्यक हो, द्वारा प्रदान किया जाना या निर्गत किया जाना एवं इसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने या परियोजना के प्रारंभ होने तक वैसे सभी क्लियरेन्स, जो भी आवश्यक हों, शामिल होंगे;

(घ) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है औद्योगिक विकास आयुक्त के रूप में कार्य करने वाला राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;

(ड.) ''सामान्य आवेदन पत्र'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन यथाविहित ऐसे इलेक्ट्रोनिक प्रपत्र, जो सभी प्रकार के क्लियरेन्स हेतु व्यक्तिगत आवेदन प्रपत्रों को संयुक्त करता हो;

(च) ''कंपनी'' से अभिप्रेत है निगमित निकाय और इसमें फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है;

(छ) ''सक्षम प्राधिकार'' से अभिप्रेत है सरकार का कोई विभाग या एजेंसी जिसे क्लियरेन्स देने या निर्गत करने का अधिकार और जिम्मेवारी सौंपी गयी हो, और इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, नगर पालिका, नगर निगम और विकास प्राधिकार शामिल होंगे;

(ज) ''विभाग'' से अभिप्रेत है सरकार का उद्योग विभाग;

(झ) ''उद्यम'' से वही अभिप्रेत है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 27) की धारा–2(ई) में है;

(ञ) ''फीस'' और ''जमा'' से अभिप्रेत होगा क्लियरेन्स/अनुमोदन सहमति अथवा किसी अन्य प्रकार के कानूनी अनुमति, जो उस प्राधिकार की सक्षमता के अधीन हो, देने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारों के अधिनियम और नियमावली द्वारा विहित राशि;

(ट) ''प्रोत्साहन'' से वही अभिप्रेत है नीति के अधीन, समय–समय पर, निवेशकर्त्ताओं को उपलब्ध की जाने वाली वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभ;

(ठ) ''ऑनलाइन'' से अभिप्रेत है किसी कम्प्युटर का एक या अधिक कम्प्युटरों से अथवा इंटरनेट जैसे नेटवर्क से जुड़ा हुआ होना;

(ड) ''नीति'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति;

(ढ) ''लोक प्राधिकार'' से अभिप्रेत है विभिन्न अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकार और इस अधिनियम की धारा–2(एफ) में परिभाषित सभी सक्षम प्राधिकार शामिल होंगे;

(ण) ''नियमावली से अभिप्रेत है बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली, 2016;

(त) ''सचिवालय'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–5 के अधीन यथा गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का सचिवालय;

(थ) ''राज्य–सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार–सरकार;

(द) ''उद्योग आधार'' से अभिप्रेत है औद्योगिक इकाईयों का ऐसा पंजीकरण जैसा कि भारत–सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, समय–समय पर, अधिकथित किया गया हो;

2. इसमें प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके प्रति क्रमशः समनुदेशित किए गए हों।

3. **राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन।**

(1) राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किया जाएगा।

(2) मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का अथवा सरकार द्वारा यथानिर्णित, इसमें जो भी पहले हो, का होगा।

4. **राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की प्रक्रिया।**

(1) बोर्ड की पूर्व बैठक में विभाग द्वारा घोषित की जाने वाले नियत तिथि को बोर्ड की बैठक प्रत्येक माह होगी। वैसी नियत तिथि को अवकाश का दिन होने की दशा में, वह बैठक, बिना किसी अगली सूचना के, अगली पश्चात्वर्ती तिथि को होगी।

(2) राज्य बोर्ड, राज्य बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा यथा विनिश्चत एक माह में एक से अधिक बैठकें आयोजित कर सकेगा फिर भी प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक आयोजित करना आज्ञापक होगा।

(3) पर्षद की बैठक अध्यक्ष सहित किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण स्थगित नहीं की जाएगी।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बाद वाले वरीष्ठ सरकारी सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(4) पर्षद की सदस्यता पदनाम से है और अन्य कृत्यकारी द्वारा प्रतिस्थापन, अध्यक्ष की अनुमति से, केवल असाधारण परिस्थितियों में अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(5) पर्षद की बैठक के लिए अध्यक्ष के अतिरिक्त पाँच सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) होगी। किसी मद पर कोई निर्णय किसी विभाग या किसी एजेंसी के प्रतिनिधित्व के अभाव में रोका नही जाएगा।

(6) पर्षद के समक्ष विचारण के लिए रखे गए प्रस्ताव या तो अनुमोदित किए जाएगें या उन पर समुचित निर्णय लिया जाएगा। अगर पर्षद द्वारा किसी मामले को स्पष्टीकरण के प्रयोजन से स्थगित किया जाता है तो इसके कारण समुचित रीति से कार्यवाही में संशोधित किया जायेगा।

(7) पर्षद समय–सीमा के भीतर बोर्ड के समक्ष रखे जाने तथा प्रस्ताव की पूर्णता को ध्यान मे रखते हुए विशिष्ट निर्देश से सचिवालय के कार्यों का माहवारी पुनर्विलोकन करेगा।

(8) **पर्षद निम्नलिखित पर निर्णय लेगा :**

(i) सचिवालय द्वारा उपलब्ध किए गए क्लियरेंस की सूची का पुनर्विलोकन;

(ii) स्वघोषणा के आधार पर उपलब्ध की गई क्लियरेंस सूची का पुनर्विलोकन;

(iii) सामान्य आवेदन पत्र का अनुमोदन;

(iv) एस0 आई0 पी0 बी0 के अधीन आवेदन के लिए फीस और जमा का पुनर्विलोकन;

(v) नीति से संबंधित मुद्दे पर और स्पष्टीकरण के संबंध में विभाग को मार्गदर्शित करना एवं सलाह देना।

(9) **पर्षद की प्रत्येक बैठक में एजेंडा के भाग के रूप में निम्नलिखित मुद्दों का पुनर्विलोकन पर्षद करेगा :**

(i) निवेश–प्रस्ताव की प्रास्थिति तथा उसके अनुमोदन की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन;

(ii) पर्षद द्वारा अनुमोदित निवेश प्रस्तावों की प्रास्थिति और उनके क्रियान्वयन की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन;

(iii) अनुमोदित निवेश–प्रस्ताव को दिए गए क्लियरेंस की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन;

(iv) निवेश–प्रस्तावों की संख्या जहाँ डिम्ड अनुमोदन दिया जानेवाला था और ऐसे डिम्ड अनुमोदन दिए जाने के लिए कारणों का पुनर्विलोकन;

(v) अनुमोदित प्रस्तावों के लिए क्लियरेंस प्राप्त करने और निपटारे की आवश्यक कार्रवाई करने में पाई जाने वाली बाधाओं का पुनर्विलोकन;

(vi) अनुमोदित प्रस्तावों से संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और अनुमोदित ऋण की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन;

(vii) नीति के क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन;

(viii) प्रक्रियागत और व्ययनित वित्तीय प्रोत्साहनों की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन;

(ix) राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथा समनुदेशित कोई अन्य कार्य।

(10) यदि किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिनियम के अधीन विहित उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया गया हो तो पर्षद सक्षम प्राधिकार के विरूद्ध कार्रवाई अनुशंसित करेगा।

5. राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का सचिवालय।

(1) अधिनियम की धारा 6(2) में उल्लिखित सदस्य सचिवालय में होंगे। सचिवालय की सहायता, योजनाओं के मूल्यांकन तथा अधिनियम की धारा 6(3) और नियम 5(2) में परिभाषित क्रियाकलापों के समर्थन को क्रियान्वित करने हेतु, पेशेवर व्यक्तियों द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार सचिवालय के स्टाफ बल विनिश्चित करेगी।

(2) **सचिवालय निम्नलिखित सभी कृत्यों का जिम्मा लेगा :**

(i) विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के आधुनिकीकरण, उत्क्रमण और विस्तारण सहित सभी नए निवेश प्रस्तावों को प्राप्त करना, प्रक्रियागत करना और अपेक्षित क्लियरेंस उपलब्ध करना;

(ii) देश के भीतर और बाहर बिहार को निवेश के लक्ष्य के रूप में प्रोन्नत करने हेतु योजना बनाना, डिजाइन करना और अभियान क्रियान्वित करना;

(iii) सामान्य आवेदन पत्र प्राप्त करने और प्रक्रियागत करने का प्रबंध करना तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी क्लियरेंस इस नियमावली के अधीन विहित समय–सीमा के भीतर दे दिए गए हैं;

(iv) सक्षम प्राधिकार की ओर से क्लियरेंस देने के लिए विहित फीस और जमा संग्रह करना तथा संबंधित लेखा में फीस और जमा को अंतरित करना;

(v) आवेदक को ऐसे क्लियरेंस की सूचना देना और जहाँ आवेदन में त्रुटियाँ हों, आवेदक को उन त्रुटियों की सूचना देना और उनका सुधार करवाना;

(vi) सेक्टर, उत्पाद और पैमाना (स्केल) वार निवेश पर सांख्यिकी जानकारी इकट्ठा करना और संघ और राज्य प्राधिकारों को, जब भी आवश्यकता हो, उपलब्ध करना;

(vii) भावी निवेशकों के लिए सेक्टर तथा उत्पादवार जानकारी तैयार करना और वेबसाइट, प्रिंट और दृश्य मिडिया तथा विभाग द्वारा यथानिदेशित अन्य साधनों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना।

(3) सचिवालय नियम 4(1) में सूचीबद्ध विभिन्न क्रियाकलापों के लिए माहवारी आधार पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए भी जिम्मेवार होगा जिसे पर्षद के समक्ष समुचित निर्णय के लिए रखा जाएगा।

(4) सचिवालय उद्योग मित्र तथा उद्योग संवाद जैसे विभाग के ऑनलाइन प्रोत्साहन के सक्षम प्रबंधन के लिए भी जिम्मेवार होगा।

(5) सचिवालय यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेवार होगा कि अधिनियम की धारा 6(4) में दी गई प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है और विहित समय–सीमा का अनुपालन होता है। प्रक्रिया में किसी विचलन को राज्य निवेश पर्षद के अध्यक्ष के ध्यान में लाना सचिवालय का कर्तव्य होगा। अध्यक्ष सचिवालय के दिन प्रतिदिन कार्यो के लिए उपयुक्त अनुदेश, जो अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया से असंगत न हो, जारी कर सकेंगे।

6. **समेकित क्लियरेंस प्रणाली।**

(1) नियम 6(3) में किए गए प्रावधान के अनुसार क्लियरेंस उपलब्ध करने तथा निवेश प्रस्तावों के अनुमोदन में एक ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

(2) निवेश प्रस्तावों के लिए क्लियरेंस ऑनलाइन उपलब्ध किया जाएगा तथा यह यथाविहित निम्नलिखित चार चरणों में होगाः

(क) **चरण–I क्लियरेंस:** चरण–I क्लियरेंस राज्य पर्षद द्वारा योजना की संभाव्यता की जाँच करने तथा निवेशक को आवश्यक अनुमोदन उपलब्ध करने के प्रति निर्देश करता है। सचिवालय राज्य पर्षद द्वारा विहित रीति से निवेश प्रस्ताव की जाँच करेगा तथा नियम–4 में किए गए प्रावधान के अनुसार निर्णय के लिए राज्य पर्षद के समक्ष प्रस्ताव को रखेगा। चरण–I क्लियरेंस आवेदक को, अनुमोदन के पश्चात्वर्ती चरणों के लिए आवेदन करने हेतु अनुमति देगा। चरण–I आवश्यक रूप से ब्रॉड सेक्टर, निवेश की मात्रा और प्रस्तावित निवेश के स्थान आदि की पहचान करेगा। पर्षद जानकारी की सूची विहित कर सकेगा जिसकी अपेक्षा चरण–I क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव के साथ भेजे जाने की हो।

(ख) **चरण–II क्लियरेंस:** चरण–II क्लियरेंस कोई उद्योग स्थापित करने के पूर्व सचिवालय से पूर्व स्थापना चरण में किसी निवेशक द्वारा अनुरोध किए गए क्लियरेंस के प्रति निर्देश करता है। पूर्व स्थापना चरण क्लियरेंस की सूची विभाग द्वारा,समय–समय पर, अधिसूचित की जाएगी। ये क्लियरेंस अधिनियम 6(4) में किए गए प्रावधान के अनुसार उपलब्ध किए जाएंगे।

(ग) **चरण–III क्लियरेंस:** चरण–III क्लियरेंस वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ के पूर्व सचिवालय से पूर्वप्रचालन चरण में किसी निवेशक द्वारा अनुरोध किए गए क्लियरेंस के प्रति निर्देश करता है। पूर्वप्रचालन चरण क्लियरेंस की सूची राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित की जाएगी। ये क्लियरेंस अधिनियम की धारा 6(4) में किए गए प्रावधान के अनुसार उपलब्ध किए जाएंगे।

(घ) **वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस:** वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए किसी निवेशक को, अनुरोध किए गए/दिए गए क्लियरेंस के प्रति निर्देश करता है। इस चरण में दिए जाने वाले प्रोत्साहन की मात्रा, नीति के अनुसार, विनिश्चित की जाएगी। यह क्लियरेंस राज्य सरकार के पदाभिहित प्राधिकार द्वारा अनुमोदन, पर्षद द्वारा यथा निर्णीत

अपेक्षित पूर्व अपेक्षाओं के पूरा होने के बाद, चरण–I बाद, किसी भी समय दिया जा सकेगा। यह स्वचालित प्रक्रिया होगी और आवेदक से किसी नए आवेदन की अपेक्षा नहीं की जाएगी। प्रस्ताव राज्य पर्षद के समक्ष अगली बैठक में, निर्णय के लिए, पूर्व अपेक्षाओं के पूरा होने पर, रखे जाएंगे। राज्य पर्षद निवेश–प्रस्ताव पर लागू प्रोत्साहन की मात्रा की अनुशंसा करेगा। वित्तीय प्रोत्साहन का अंतिम अनुमोदन नियम–7 के प्रावधान के अनुसार दिए जाएंगे। प्रोत्साहन का वास्तविक व्ययन निवेश प्रस्ताव के वास्तविक क्रियान्वयन के अनुसार होगा।

(3) **सामान्य आवेदन पत्रों की प्रक्रिया तथा मॉनिटरिंग करना:** एक समेकित ऑनलाइन प्रणाली आवेदनों को प्राप्त करेगी और संबंधित सक्षम प्राधिकारों को अंतरित करने के साथ आवेदन को लीक (ट्रैक) पर लाएगी और प्रास्थिति की मॉनिटर करेगी।

इस प्रणाली के अधीन:

(क) विहित अनुलग्नकों के साथ सामान्य आवेदन–पत्र दिए/अपलोड किए जाएंगे।

(ख) सक्षम प्राधिकारी आवेदक से केवल एक बार अतिरिक्त जानकारी की मांग, 7 दिनों के भीतर, केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे। अतिरिक्त जानकारी का उत्तर आवेदक द्वारा केवल ऑनलाइन भेजा जाएगा।

(ग) आवेदन की प्राप्ति की तिथि से विहित समय–सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगे जाने की दशा में, यह समझा जाएगा कि किसी अतिरिक्त जानकारी की अपेक्षा नहीं है और क्लियरेंस के लिए मौलिक समय–सीमा लागू होगी और सक्षम प्राधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर निर्णय करेगा।

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित समय–सीमा के भीतर अतिरिक्त जानकारी मांगे जाने की दशा में, अधिनियम की धारा 5 और धारा 6(4) में विहित समय–सीमा की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि को आवेदक द्वारा ऑनलाइन अतिरिक्त जानकारी भेजी गई है।

(ड.) सक्षम प्राधिकार आवेदन को प्रक्रियागत करेगा और अधिनियम की धारा 5 और धारा 6(4) में विहित समय–सीमा के भीतर निर्णय (अपनी टिप्पणी) के साथ अनुरोध के अनुमोदन/नामंजूरी की सूचना आवेदक को देगा।

(च) आवेदक को सभी क्लियरेंस के लिए तुरंत विकल्प दाखिल करने की स्वीकृति दी जाएगी अथवा वह विभिन्न अंतरालों पर आवेदन करने का चयन कर सकेगा। क्लियरेंस के लिए आवेदन नामंजूर होने की दशा में, आवेदक को नए क्लियरेंस के लिए आवेदन दाखिल करने की स्वीकृति दी जा सकेगी।

(छ) प्रत्येक अनुमोदन/प्रमाण पत्र के लिए एक यूनिक सिंगल विंडो क्लियरेंस आई. डी. दिया जाएगा जिसका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमोदन त्रिपक्षीय सत्यापन के लिए किया जा सकता है।

(4) **प्रक्रिया और कार्यवाही की सरलीकरण के लिए विशेष प्रावधान और उपाय:** वैसे क्लियरेंस की दशा में

जिसमें केवल मौलिक दस्तावेजों की समीक्षा की आवश्यकता हो, स्थल अनुमोदन दिया जाएगा। ऐसे क्लियरेंस की सूची, राज्य पर्षद की सलाह पर, विभाग द्वारा समय—समय पर, अधिसूचित की जाएगी।

(5) **आवेदनों को प्रक्रियागत करने की फीस:** सचिवालय द्वारा क्लियरेंस विभिन्न चरणों के दौरान आवेदक से फीस और जमा प्राप्त किया जाएगा। आवेदन प्रक्रियागत करने की फीस, राज्य पर्षद की सलाह पर, विभाग द्वारा, समय—समय पर, अधिसूचित की जाएगी।

(6) **क्लियरेंस के लिए निरीक्षण का विवेकपूर्ण किया जाना:** वैसे क्लियरेंस के लिए जिसमें निरीक्षण की आवश्यकता हो, सभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

7. पात्र औद्योगिक इकाईयों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन:

(1) नियम—6(2)(iv) के अधीन क्लियर किए गए प्रस्ताव निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष रखे जाएंगे। राज्य पर्षद की बैठक में अनुमोदित सभी प्रस्ताव एक साथ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखे जाएंगे। निर्णय उसी क्रम में लिए जाएंगे जिस क्रम में राज्य पर्षद से प्रस्ताव अनुमोदित हो। बारी से बाहर प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने की दशा में, ऐसी विचलन के लिए पर्याप्त कारणों को अभिलिखित किया जाएगा और आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(2) सक्षम प्राधिकार और अनुमोदन दिए जाने और वित्तीय प्रोत्साहन का निर्णय दिए जाने हेतु समय—सीमा निम्नवत् होगी:

(i) वैसे प्रस्तावों पर, जिनमें रूपये 2.5 करोड़ और उससे कम का निवेश अंतर्ग्रस्त हो, आयुक्त 15 दिनों की समय—सीमा के भीतर निर्णय लेंगे। यदि विहित समय के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है तो विलंब का कारण अभिलिखित किया जाएगा।

(ii) वैसे प्रस्तावों पर जिनमें रूपये 2.5 करोड़ से अधिक और रूपये 10 करोड़ की सीमा तक निवेश अंतर्ग्रस्त हो, मंत्री, उद्योग विभाग द्वारा 15 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

(iii) वैसे प्रस्तावों पर, जिनमें रूपये 10 करोड़ से अधिक और रूपये 20 करोड़ तक की सीमा तक निवेश अंतर्ग्रस्त हो मंत्री, उद्योग विभाग और और मंत्री, वित्त विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाएगा। विभागीय मंत्री 15 दिनों के भीतर निर्णय लेंगे और तत्पश्चात वित्त मंत्री अगले 15 दिनों में निर्णय लेंगे।

(iv) रूपये 20 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(3) राज्य सरकार उपरोल्लिखित समय—सीमा, वित्तीय सीमा और सक्षम प्राधिकार का, समय—समय पर अधिसूचना के माध्यम से पुनरीक्षण करेगी।

(4) एकबार मंजूर प्रोत्साहन, आगे किसी प्राधिकार को बिना किसी निर्देश के, वैसी किसी शर्त के अधीन रहते हुए जो मंजूरी से जुड़ी हो, समयबद्ध रीति से सचिवालय द्वारा व्ययनित किए जाएंगे।

8. **स्वप्रमाणन:** आयुक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्वःघोषणा के सहज सत्यापन के लिए अनुदेश जारी करेंगे।

सत्यापन सचिवालय द्वारा संचालित किया जाएगा अथवा किसी लोक प्राधिकार को जांच–पड़ताल निदेशित की जाएगी जो अपना निष्कर्ष अध्यक्ष को, आवश्यक कार्रवाई के लिए, देगा।

9. **डिम्ड अनुमोदन:**

(1) अधिनियम की धारा 6(4) में यथा विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर क्लियरेंस जारी करने में सक्षम प्राधिकार के असफल होने की दशा में, सचिवालय, एक प्रति के साथ, संबंधित विभाग द्वारा विहित प्रारूप में डिम्ड अनुमोदन संसूचित कर संबंधित विभाग को सूचित करेगा। सचिवालय सभी ऐसे डिम्ड क्लियरेंस जारी करने हेतु अधिकारियों को पदाभिहित करेगा।

(2) डिम्ड अनुमोदन उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को ऐसे क्लियरेंस के लिए समय–सीमा समाप्त हो गई हो।

(3) क्लियरेंस के विलंब के फलस्वरूप डिम्ड अनुमोदन निर्गत करने पर सक्षम प्राधिकार तत्काल नियमों के अनुसार शास्ति अधिरोपण के लिए दायी होगा।

10. **शिकायत/अपील:**

(1) पहली बार सभी शिकायतों को आयुक्त के पास निर्देशित कर दिया जाएगा। सभी शिकायतों का निपटारा आयुक्त द्वारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(2) आवेदक अपनी शिकायत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से भेज सकते हैं और लीक (ट्रैक) पर ला सकते हैं।

(3) नीतियों, अनुमोदनों, प्रोत्साहनों, आवेदन–प्रक्रिया, सिंगल विंडो इत्यादि से संबंधित निवेशकों की पूछताछ का प्रभावकारी रूप से उत्तर देने के लिए एक केन्द्रीयकृत हेल्पलाइन नम्बर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

11. **निदेश देने की शक्ति:**

(1) राज्य सरकार, समय–समय पर, राज्य पर्षद या सचिवालय को नीति के ऐसे सामान्य या विशेष निदेश दे सकेगी जिसे राज्य में निवेश बढ़ाने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन समझा जाय।

(2) आयुक्त को अनुसंधान, जाँच–पड़ताल करने और विभिन्न अधिनियमों के अधीन विहित समय–सीमा के भीतर निवेश प्रस्तावों के लिए अपेक्षित क्लियरेंस से संबंधित मुद्दों पर प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु, लोक प्राधिकार को निदेश देने की शक्ति होगी।

12. **शास्ति:**

(1) कोई लोक प्राधिकार, जो राज्य पर्षद और सचिवालय के निदेशों का अनुपालन विहित समय के भीतर करने में विफल होता है तो अधिनियम की धारा 11(1) के अनुसार अभिजोन / सजा का दायी होगा।

(2) आगे, संबंधित लोक प्राधिकार के, बिना पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण के, क्लियरेंस उपलब्ध करने के लिए परिभाषित समय का अनुपालन न करने वाले पदाभिहित पदधारी अपने संबंधित सेवा–नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए दायी होंगे:

परंतु लोक प्राधिकार के पदाभिहित पदधारियों को, कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(3) कोई भी आवेदक, जो सचिवालय अथवा अन्य संबंधित विभाग को दिए गए घोषणाओं/वचनबंध का अनुपालन करने में विफल रहता है, तत्काल विधिक प्रावधानों के अनुसार अभियोजन/सजा का दायी होगा।

13. **प्रकीर्ण 1— सरकार इस नियामावली के प्रावधानों के त्वरित क्रियान्वयन के लिए ऐसा मार्गदर्शन जारी कर सकेगी जो अधिनियम और इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हों।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

1/3/2017

(डा. एस. सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 3074/पटना, दिनांकः 28.12.2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

1/3/2017

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 3074/पटना, दिनांकः 28.12.2016

प्रतिलिपि : सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग/प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के अधीन सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, उद्योग निदेशालय/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विकास निगम, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/2017

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Govt. of Bihar

Department Of Industries
Government Of Bihar
Vikas Bhawan, Patna-800 015 (Bihar) India
www.industries.bih.nic.in